कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

कमांक /2574/ अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक 23.10.2020

साउण्ड ऐसोसिएशन जिला बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए बैण्ड बाजा, धुमाल, डीजे इत्यादि संचालन को निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

01. बैण्ड बाजा, धुमाल, डीजे इत्यादि को बजाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 05 होगी।
02. उपरोक्त वाद्य यंत्रों का प्रयोग रात्रि 8.00 बजे के बाद किसी भी स्थिति में नहीं की जावेगी।
03. भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावे।
04. कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है। अतः किसी भी निर्देशों का उल्लंघन नही किया जावेगा। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

Additional District Magistrate Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

23/X/2020

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा (C.G.)

पृ. कमांक /2575/ अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक 23.10.2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अति.जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. तहसीलदार / कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ़ / कसडोल को सूचनार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य नगर पालिका / पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार–भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

23/X/2020

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा (C.G.)

Scanned with CamScanner